राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक :– प.33(2)गृह/ग्रुप–9/2019 दिनांकः 09.04.2020

आदेश

विषय : ईंट भट्टों के संचालन की अनुमति।

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.04.2020 की निरन्तरता में ईंट भट्टों को निम्नांकित शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1. श्रमिकों को अनिवार्य रूप से ऐसे ईंट भट्टों के क्षेत्र के भीतर रहना होगा और ईंट भट्टा परिसर के बाहर इन श्रमिकों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. सम्पूर्ण अवधि के दौरान इन ईंट भट्टो पर सामाजिक दूरी (Social Distance) और कम संपर्क (Less Contact) के सिद्धान्त का पालन किया जाएगा।
3. ईंट भट्टों के मालिक द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय–समय पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई सलाह की पालना करना आवश्यक होगा।
4. इन श्रमिकों की खाद्य सामग्री सहित दैनिक जरूरत की वस्तुओं की व्यवस्था ईंट भट्टों के मालिक द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी और ऐसे श्रमिकों को इस उद्देश्य के लिए बाजार या आस–पास के क्षेत्र में जाने की अनुमति नही दी जाएगी।
5. श्रमिकों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा जांच आवश्यक रूप से करायी जाएगी।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लधंन किये जाने पर ईंट भट्टे को बंद कर दिया जायेगा।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. उप सचिव, मुख्य सचिव
3. महानिदेशक पुलिस राजस्थान
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग
5. समस्त संभागीय आयुक्त
6. समस्त महानिरिक्षक पुलिस रेंज/उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज
7. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इस निर्देश के साथ जिला प्रशासन के समस्त जिला स्तरीय अधिकारीयों को आदेश की प्रति भिजवायें।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक

(पी. सी. बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव